ग्राम पंचायत कधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती शकुन्तला देवी	01.04.13 से 31.03.16
2	श्री रघुनाथ	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मान सिंह	01.04.13 से 08.12.14
2	श्री मेघ सिंह	09.12.14 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत कधार के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.20
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	10.98
3	10	निर्माण कार्य "सोरस टैंक व पानी की पाईप लाईन रिखल से मांझली बांड में अनियमित/अनुचित भुगतान व अन्य अनियमितताएं	0.32
4	11	निर्माण कार्य पक्का रास्ता भोर धार से लिहाण में क्रय सीमेन्ट से 103 बैग की अधिक खपत दर्शाना	—

5	12	निर्माण कार्य "RWHT हेंम सिंह" में सीमेन्ट क्रय से पूर्व उसका उपभोग दर्शाना	–
6	13	निर्माण कार्य "RWHT चरण सिंह" में क्रय सीमेन्ट से 28 बैग सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शाना	–
7	14	पंचायत द्वारा वाटर शैड से किये गये व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें प्रस्तुत न करना	3.20

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2016 से 18.06.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 08/13, 02/15, 03/16 एवं 03/14, 03/15, 03/16 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 094/2016 दिनांक 18.06.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कधार से अनुरोध किया गया है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कधार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–1 से 4** में निम्नविवरणानुसार दिया गया है।

परिशिष्ट–1 स्व स्त्रोत एवं अन्य अनुदान

परिशिष्ट–2 विविध अनुदान (विवरण अनुसार)

परिशिष्ट–3 वाटर शैड

परिशिष्ट–4 मनरेगा

(ख) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत कधार की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही एवं बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का सम्बन्धित बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "5"** में दिये गये विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 की धारा 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹1.20 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेंख एवं अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना/अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹120160/– की वसूली शेष थीः–

(i) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	4935	6660	11595	1050	10545
2014–15	10545	7100	17645	6860	10785
2015–16	10785	7200	17985	17325	660

(ii) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	87000	12500	99500	2500	97000
2014–15	97000	12500	109500	2000	107500
2015–16	107500	14500	122000	2500	119500

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹10.98 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–6** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1097714 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तो अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 **निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

10 **निर्माण कार्य "सोरस टैंक व पानी की पाईप लाईन रिखल से मांझली बांड में ₹0. 32 लाख का अनियमित/अनुचित भुगतान व अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ मेंः—**

ग्राम पंचायत, कधार द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु पंचायत द्वारा ₹31500/— का भुगतान वाउचर संख्या 108 (iv) माह 03/2014 (सामान्य रोकड़ बही) द्वारा मै0 रावत हार्डवेयर स्टोर, घरासणी को उनके बिल संख्या 1439 दिनांक 15.03.2014 के एवज में 50 नं0 जी0आई0 पाईप के क्रय हेतु दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित कार्य की अन्तिम कार्य उन्नति (Work Progress) जोकि माप पुस्तिका 3276 पृष्ठ 62 से 66 में की गई है के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त जी0आई0 पाईपों को कार्य स्थल पर बिछाने (Loying) से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में नहीं की गई हैं एवं न ही इन पाईपों को बिछाने (Laying) हेतु वांछित अन्य सामग्री जैसे कि एल्बों, निप्पल आदि का क्रय किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इन पाईपों को कार्य स्थल पर प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं यदि इन पाईपों को कार्यस्थल पर प्रयोग में नहीं लाया गया है तो इस समस्त राशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से करने उपरान्त जमा की जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त कार्य से सम्बन्धित खाता बही एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु वाउचर संख्या 108 (vi) माह 03/2014 द्वारा मै0 कुमार हार्डवेयर स्टोर, जोगिन्द्रनगर से बिल संख्या 2393 दिनांक 21.3.2014 द्वारा 75.200 किलोग्राम सरिये की खरीद की गई है। जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका 3276 पृष्ठ 15 अनुसार उक्त कार्य हेतु 183 किलोग्राम सरिये का उपयोग दर्शाया गया है। अतः 75.200 किलोग्राम सरिये की खरीद के विरूद्ध 183 कि0ग्रा0 सरिये का उपयोग दर्शाया गया है, जोकि स्पष्टतः माप पुस्तिका में प्रविष्टियों से छेड़छाड़ को दर्शाता है। अतः इस सन्दर्भ में भी अंकेक्षण को बताया जाए कि शेष 107.800 कि0ग्रा0 सरिया कहाँ से क्रय/प्राप्त किया गया।

11 निर्माण कार्य "पक्का रास्ता भौरधार से लिहाण" में क्रय सीमेन्ट से 102.7 (103) बैग की खपत अधिक दर्शानाः–

ग्राम पंचायत, कधार द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एवं उपलब्ध करवाई गई सूचना की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में "पक्का रास्ता भौरधार से लिहाण" का निर्माण कार्य करवाया गया था। उक्त कार्य की खाता बही (Ledger) की जाँच में पाया गया कि इस कार्य हेतु पंचायत द्वारा 120 बैग सीमेन्ट का क्रय निम्न विवरण अनुसार किया गया था।

क्र0सं0	फर्म का विवरण	बिल सं0	दिनांक	सीमेन्ट बैग की सं0	राशि (₹)
1	हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम, कुन्नु शाखा	1920909	21.03.14	100	20100
2	–यथोपरि–	0051226	20.09.14	20	4380
				120 बैग	**24480**

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु 222.7 (223) बैग सीमेन्ट की खपत निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई हैः–

क्र0सं0	माप पुस्तिका	पृ0सं0	सीमेन्ट की खपत	मस्ट्रोल की अवधि	माप पुस्तिका प्रविष्टि की तिथि
1	6436	82–83	40.4 बैग	06.04.14 से 19.04.14	25.04.14
2	6436	93–95	79.1 बैग	21.04.14 से 07.05.14	–
3	6436	99–100	49.0 बैग	06.05.14 से 19.05.14	28.05.14
4	7479	3–4	31.2 बैग	–	11.06.14
5	7479	35–36	23.00 बैग	06.12.14 से 19.12.14	26.12.14
		योग	**222.7 बैग**		

अतः सीमेन्ट की 120 बैग के क्रय के विरूद्ध 222.7 (223) बैग सीमेन्ट की खपत दर्शाना संदिग्ध प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि शेष 102.7 (103) बैग

सीमेन्ट पंचायत द्वारा किस स्त्रोत से प्राप्त कर उक्त कार्य हेतु प्रयोग किये गये है, क्योंकि वर्तमान अंकेक्षण में इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

12 निर्माण कार्य "RWHT हेम सिंह" में सीमेन्ट क्रय से पूर्व उसका उपभोग दर्शाया जानाः–

पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही 2013–14 (माह मार्च 2014) की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 121 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 10831, 10832 अवधि 06.03.2014 से 19.03.2014 द्वारा ₹15318 का भुगतान मजदूरों को इस कार्य हेतु किया गया है। उक्त कार्य की कार्य उन्नति (work Progress) माप पुस्तिका 6434 पृष्ठ 76 की जाँच में पाया गया कि इस अवधि में कार्य हेतु 29.8 (30) बैग सीमेन्ट की खपत दर्शाई गई है, जबकि इस कार्य की खाता बही एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट की प्रथम प्राप्ति/क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम, कुन्नू से बिल संख्या 1926908 दिनांक 21.3.2014 द्वारा किया गया है। अतः सीमेन्ट क्रय करने से पूर्व उसकी खपत दर्शाया जाना न केवल अनुचित एवं अनियमित है अपितु पूर्णतः आपत्तिजनक है। अतः क्रय से पूर्व सीमेन्ट की खपत दर्शाने बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए।

13 निर्माण कार्य "RWHT चरण सिंह सुपुत्र गांधी" में क्रय सीमेन्ट से 28 बैग सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शानाः–

ग्राम पंचायत कधार द्वारा उपरोक्त कार्य मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में करवाया गया था। इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम, कुन्नू शाखा से इस कार्य हेतु बिल संख्या 0051229 दिनांक 20.09. 2014 द्वारा ₹13140/– में 60 सीमेन्ट बैग की खरीद की गई थी। पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं माप पुस्तिका 7569 पृष्ठ 14 से 16 अनुसार इस कार्य में 87.5 (88) बैग सीमेन्ट की खपत दर्शाई गई है। अतः शेष 28 सीमेन्ट बैग पंचायत द्वारा किस स्त्रोत से प्राप्त किये गये के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

14 पंचायत द्वारा चयनित मासों में वाटरशैड से किये गये व्यय ₹3.20 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में वाटरशैड से ₹320065/– का व्यय निम्नविवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	माह	राशि	व्यय का विवरण
1	41 (i)	10.03.14	3850	70 cft रेत ढुलान राजिन्द्र सिंह गुम्मा
2	41 (ii)	10.03.14	2700	45 बैग सीमेन्ट का ढुलान

3	44 (i)	24.03.14	22632	मस्ट्रोल नं0 17508 (13.2.14 से 28.2.14) का भुगतान
4	44 (ii)	24.03.14	31878	मस्ट्रोल नं0 17511 (01.03.14 से 31.03.14) का भुगतान
5	44 (iii)	24.03.14	13160	पत्थर तुड़ान श्री ज्योति प्रकाश, गुम्मा
6	08	05.03.16	25300	100 बैग सीमेन्ट का क्रय
7	13	23.03.16	220545	900 मीटर HDPE पाईप का क्रय
		योग	**320065**	

पंचायत द्वारा उपरोक्त किये गये भुगतानों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें एवं उनकी आगामी खपत से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतानों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें एवं आगामी खपत/निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविधः—

(क) पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एवं रसीद बुकों की जाँच में पाया गया कि माह 02/2015 में रसीद संख्या 394893 दिनांक 18.02.15 द्वारा श्री अच्छर सिंह से गृहकर के रूप में ₹60/— की राशि प्राप्त की गई है, किन्तु पंचायत द्वारा इस राशि को न तो रोकड़ बही में लिया गया है एवं न ही बैंक में जमा करवाया गया है जिससे स्पष्ट हे कि इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजित किया गया है। अतः इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा माह 03/2014 में सामान्य रोकड़ बही में वाउचर संख्या 101 माह 03/2014 द्वारा ₹2096/— का भुगतान सीमेन्ट की ढुलाई हेतु दर्शाया गया है किन्तु सीमेन्ट क्रय से सम्बन्धित अभिलेख जिसके ढुलान हेतु यह भुगतान किया गया है। जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से करने उपरान्त जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही से वर्ष 2013–14 (मार्च 2014) में वाउचर संख्या 126 दिनांक 29.03.14 द्वारा ₹620 का भुगतान स्टेशनरी की खरीद हेतु दर्शाया गया है, किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इससे सम्बन्धित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त बकाया राजस्व वसूलियों हेतु विशेष प्रयत्न किये जाएँ।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(11) 4/2016–खण्ड–1–6579–6582 दिनाँकः 16.12.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.